इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2014—पौष 20, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 707-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) विधेयक, २०१४

३१ मार्च, २००३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१४ है.

३१ मार्च २००३ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रु. ४,२४,७९,२६,८३८ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चार सौ चौबीस करोड़ उन्यासी लाख छब्बीस हजार आठ सौ अड़तीस होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २००३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००३ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

(१) अनुदान क्रमांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) आधिक्य		
			मतदत्त	भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
	लोक ऋण (वित्त विभाग)				
		पूंजीगत		३,७५,४३,०३,३२८	३,७५,४३,०३,३२८
२१.	आवास एवं पर्यावरण विभाग				
		पूंजीगत		३३,२०७	३३,२०७
२३.	जल संसाधन विभाग				
		पूंजीगत		८०,९८५	८०,९८५
२४.	लोक निर्माण-सड़कें और पुल				
		राजस्व	३६,६८,४०,८९९		३६,६८,४०,८९९

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
४४.	उच्च शिक्षा विभाग				
		राजस्व		**२७,००,०००**	२७,००,०००
५३.	नगरीय प्रशासन एवं विकास				
		राजस्व	३१,०००		३१,०००
६७.	लोक निर्माण—भवन निर्माण				
		राजस्व	१२,१९,३०,८८२	**२०,०६,५३७**	१२,३९,३७,४१९
	योग :	राजस्व	४८,८८,०२,७८१	**४७,०६,५३७**	४९,३५,०९,३१८
		पूंजीगत	**०**	**३,७५,४४,१७,५२०**	३,७५,४४,१७,५२०
	कुल योग :		४८,८८,०२,७८१	**३,७५,९१,२४,०५७**	४,२४,७९,२६,८३८

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् २००३ को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : ८ जनवरी, २०१४.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.